संख्या-46/2026/I/1241417/2026/23-6-2026-ई-1760615

प्रेषक,

सुभाष राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 17 फरवरी, 2026

विषयः- राज्य योजनान्तर्गत जनपद रामपुर के 03 कार्यों की अतिरिक्त जी0एस0टी0 की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक-I/359601/2025, दिनांक 27.11.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजनान्तर्गत जनपद रामपुर के 03 कार्यों की जी0एस0टी0 की दरें 12 प्रतिशत से बढकार 18 प्रतिशत होने के फलस्वरूप उक्त कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 39.16 लाख की देयता उत्पन्न हुई है।

2- प्रश्नगत 03 परियोजनाओं की तालिका के कॉलम-3 में अंकित शासनादेश से निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की कुल धनराशि रू0 812.20 लाख में से बचत एवं अतिरिक्त जी०एस०टी० की धनराशि को समायोजित करते हुए तीनों परियोजनाओं की कुल पुनरीक्षित लागत रू0 850.00 लाख (रूपये आठ करोड़ पचास लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रं0	कार्य का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	मुख्यालय द्वारा मांग की गयी अतिरिक्त जीएसटी की मांग	अतिरिक्त जी0एस0टी0 हेतु अवमुक्त धनराशि (6+10)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में धीमरी नदी पर श्रीनगर व ग्राम सिहोर के मध्य आर0सी0सी0 लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	116/ 2021/ 1213/ 23- 10- 21-28 (सेतु) /2021 दि0 09-12-2021	211.70	0.72	210.98	09.99	220.97
2	जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में हामिदनगर एवं लालपुर के बीच के मार्ग (ग्रा0मा0) पर आर0सी0सी0 लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	तदैव	80.95	0.23	80.72	3.89	84.61
3	जनपद रामपुर के अंतर्गत टाण्डा (मरघटी) से करखेड़ी के मध्य बहल्ला नदी पर लघु सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	197/ 2022 / 1213 / 23-10- 21-28 (सेतु)/ 2021 दि009-12-2022	519.55	0.41	519.14	25.28	544.42
	कुल योग		**812.20**	**1.36**	**810.84**	**39.16**	**850.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम एवं शर्तों</u>

(1) प्रश्नगत कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी। अवशेष धनराशि का भुगतान कदापि नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि के सम्परीक्षित लेखा प्राप्त कर अभिलेखों में संरक्षित किए जाय।

(3) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फडिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाय। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति कार्य जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। इससे इतर व्यय कदापि नहीं किया जाय।

(6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं०-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

(7) प्रश्नगत कार्य पर जी०एस०टी० की धनराशि का भुगतान नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा तथा यदि पूर्व में कोई जी०एस०टी० की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित को किया गया है, तो उसका समायोजन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जी०एस०टी० की धनराशि का भुगतान किया जाय। कार्य की लागत को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(8) प्रस्तावित कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही जी०एस०टी० की धनराशि की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(9) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत कार्य की प्रशासकीय एवं वितीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-04-सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)-0421-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-14-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-932-X-2025-26, दिनांक 12.02.2026 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुभाष राम)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।